Statement

The whole-sale prices of edible oils including vanaspati at Delhi Market

		January, 1991	January, 1992
1.	Groundnut oil (Rs./Quintal)	3850	3520
2.	Sesame oil (Rs. /Quintal)	3050	2870
3.	Mustard oil (Rs/15kg. tn) (Pakki Ghanni)	485	425
4.	Vanaspati	590	572

2302. [*Transferred to the 20th March, 1992*].

विवाद निराकरण आयोगों का गठन

2303. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन जिलों में अब तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन विवाद निराकरण मंचों/आयोगों का गठन नहीं किया गया है ;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा ऐसे मंचों/आयोगों के गठन में की जा रही देरी के क्या कारण हैं ;

(ग) इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 19 सितम्बर, 1989 को जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया है ;

(घ) क्या राज्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा कुछ वित्तीय सहायता दी जानी थी ; यदि हां, तो कितनी ;

(ङ) क्या सरकार अस्पताल सेवाओं तथा सरकारी/गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा बनाए गए आवासों को भी इस अधिनियम के अधीन लाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मंचों/आयोगों के कार्य न करने के पीछे वित्तीय बाधाओं और उपयुक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता को कारण बताया है ।

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 19-9-89 के आदेश में निदेश दिया था कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र 6 सप्ताह के भीतर अधिनियम की धारा 9(क) की अपेक्षानुसार जिला मंच का और धारा 9(ख) की अपेक्षानुसार राज्य आयोग का गठन करे । केंद्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मणिपुर, नागालैण्ड और सिक्किम सरकारों ने राज्य आयोगों और जिला मंचों को अधिसूचित कर दिया है लेकिन उन्हें अभी कार्यशील नहीं बनाया है । असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में कुछ जिला मंच कार्य कर रहे हैं और शेष को अधिसूचित कर दिया गया है । दिल्ली में एक जिला मंच कार्य कर रहा है । तथापि

उन्होंने एक और जिला मंच अधिसूचित किया है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) और (च) सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यदल गठित किया था। अपनी रिपोर्ट में कार्यदल ने जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और आवास जैसी नागरिक सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे के भीतर लाने का सुझाव दिया है। इस रिपोर्ट पर केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी, जो इस अधिनियम में संशोधन हेतु सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करेगी ।

चीनी के वितरण में भेद-भाव पूर्ण व्यवहार

2304. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में राशन में दी जाने वाली चीनी की मात्रा गांवों में प्रति व्यक्ति 250 ग्राम है जबकि शहरों में प्रति व्यक्ति मात्रा 1 किलोग्राम है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संचालय में राज्य मंत्री (श्री कवालुहीन अहमद): (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लेवी चीनी का आबंटन सामान्यतया 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के आधार पर किया जाता है । जहां केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लेवी चीनी का थोक में आबंटन करती है, वहां उनको हकदारी की मात्रा, जारी करने की आवधिकता तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित विभिन्न जिलों और क्षेत्रों के अंदर उनके आबंटन संबंधी निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाते हैं ।

Scope of Consumer Protection Act, 1988

2305. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Consumer Protection Act, 1986, applies to the professional services rendered by doctors, lawyers or other professionals;

(b) if so, the details thereof;

(c) if the answer to part (a) above is in negative, the reasons therefor; and

(d) the measures Government propose to take to provide relief to consumers against such Professionals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) The Act applies to all services hired for a consideration and excludes services rendered free of charge or under a contract of personal service. Various State Commissions constituted under the Consumer Protection Act 1986 have given different interpretations on the applicability of the Act to the services provided by the professionals.

(c) and (d) The Government had, earlier, constituted a higher power Working Group to suggest suitable amendments to the Consumer Protection Act, 1986 to make it more effective. In its report, the Working Group has suggested making a specific provision bringing professional services rendered by doctors, lawyers and others within the ambit of the Act. The Report will be discussed in the next meeting of the Central Consumer Protection Council which will make suitable recommendations to the Government for amending the Act.